



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102025-266646
CG-DL-E-06102025-266646

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4343]
No. 4343]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2025/आश्विन 8, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2025/ASVINA 8, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2025

का.आ. 4467(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अनन्तनाग (NH-244) के कि.मी 148.589 किमी से 176.532 किमी जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चैड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH-244 तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	उपायुक्त अनन्तनाग	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-244	जम्मू और कश्मीर	अनन्तनाग	अन्नतनाग	1 डोनिपवा 2 ब्राकपोरा

		के कि.मी 148.589 से कि.मी 176.532 तक				3	तहजीवारा
						4	कडपुरा
						5	कुल- गार्ड
						6	साहिब आबाद
				कोकेरनाग	1	सगम	
					2	बदूरा	
					3	अर्किंगम	
					4	हीलर अर्हमा	
					5	बुचू	
					6	दंवत पूरा	
					7	बिन्दु जलंगाम	
					8	देवलशाम	
				दोरू	1	हकुरा बदलगाम	

[फा सं. NHIDCL/DPR/VD/PKg-VI/Intermittentstretches/LA/2025-26]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2025

S.O. 4467(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from 148.589 to 176.532 of Anantnag (NH-244) in the UT of JAMMU & KASHMIR for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the UT of JAMMU & KASHMIR

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH-244 in the UT of JAMMU & KASHMIR.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Deputy Commissioner ANANTNAG	NH-244 KM 148.589 TO KM 176.532	JAMMU & KASHMIR	ANANTNAG	Anantnag	1 Donipawa 2 Brakpora 3 Thajiwara 4 Kadpora

						5	Kull - gard
						6	Sahib Abad
					Kokernag	1	Sagam
						2	Badoora
						3	Akingam
						4	Hiller Arhama
						5	Buchoo
						6	Danwath Pora
						7	Bindoo Zalangam
						8	Devalgam
					Dooru	1	Hakura Badasgam

[F.No. NHIDCL/DPR/VD/PKg-VI/Intermittentstrectches/LA/2025-26]

SHAIKH AMINKHAN, Director